अनुदान संख्या 30 – विदेश मंत्रालय
GRANT No. 30–MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

				कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
प्रभारित-	*Charged–*			*3,00*	. .	*–3,00*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*3,00*
स्वीक त-	Voted–					
मूल	Original	4216,04,00		5336,54,00	5150,91,98	–185,62,02
पूरक	Supplementary	1120,50,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					137,32,97
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीक त-	Voted–					
मूल	Original	845,93,00		1640,85,00	1595,42,51	–45,42,49
पूरक	Supplementary	794,92,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					55,25,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, *3.00 लाख रु.* का *विनियोग* तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा जिसे अंततः अभ्यर्पित कर दिया गया।

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (18562.02 लाख रु.) अक्तूबर, 2008 और फरवरी, 2009 में प्राप्त किए गए 112050.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 17 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 3 प्रतिशत थीं।

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, *appropriation of Rs 3.00 lakhs* remained wholly unutilised under three heads and was eventually surrendered.

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.18562.02 lakhs) constituted 17 percent of the supplementary grants of Rs.112050.00 lakhs obtained in October, 2008 and February 2009 and 3 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2052" सचिवालय - सामान्य सेवाएं	Major Head "2052" Secretariat-General Services					
मू.	O.	16216.00				
पू.	S.	1642.00		21060.78	20263.18	–797.60
पु.	R.	3202.78				
मुख्य शीर्ष "2601" विदेशी मामले	Major Head "2601" External Affairs					
मू.	O.	217293.00				
पू.	S.	110408.00		326104.59	324330.90	–1773.69
पु.	R.	–1596.41				
मुख्य शीर्ष "3605" अन्य देशों के साथ तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग	Major Head "3605" Technical and Economic Co-operation with Other Countries					
मू.	O.	188094.00				
				172754.66	170497.90	–2256.76
पु.	R.	–15339.34				

(I) 12.00 लाख रु. का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs 12.00 lakhs remained wholly unutilised under three heads.

(II) मुख्य शीर्ष "2061" के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के सामने दर्शाए अनुसार पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(II) Supplementary grant obtained under Major Head "2061" - remained wholly unutilised under the following heads as shown against each:-

(का) "विशेष राजनयिक व्यय - विवेकाधीन व्यय" - 54538.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 6975.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 61513.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 7744.84 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) कार्यकलापों को यथा परिकल्पित रूप में निष्पादित न किए जाने के कारण हुई।

(A) "Special Diplomatic Expenditure – Discretionary Expenditure" –the original provision of Rs.54538.00 lakhs was augmented to Rs.61513.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.6975.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.7744.84 lakhs (including supplementary grant) - due to non-implementation of activities as envisaged.

(खा) ''पासपोर्ट और उत्प्रवास - केंद्रीय पासपोर्ट और उत्प्रवास संगठन'' - 24525.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 1324.51 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 25849.51 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 1989.36 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र से पासपोर्ट आवेदन जांच परियोजना संबंधी बिलों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

(B) "Passport and Emigration – Central Passport and Emigration Organisation" –the original provision of Rs.24525.00 lakhs was augmented to Rs.25849.51 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.1324.51 lakhs. However, there was a saving of Rs.1989.36 lakhs (including supplementary grant) - due to non-receipt of bills for Passport Application Scanning Project from National Informatics Center.

(गा) ''अन्य व्यय - विदेश मंत्रालय छात्रावास एवं रिहायशी परिसर'' - 341.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 14.08 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 355.08 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 144.66 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) पुराने और नए छात्रावासों में नवीकरण कार्य पूरा किए जाने में विलंब होने के कारण हुई।

(C) "Other Expenditure – MEA Hostels & Residential Complexes" – the original provision of Rs.341.00 lakhs was augmented to Rs.355.08 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.14.08 lakhs. However, there was a saving of Rs.144.66 lakhs (including supplementary grant) - due to delay in completion of renovation work in old and new hostels.

(III) मुख्य शीर्ष ''2061'' के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(III) Supplementary grant obtained under Major Head "2061"– remained unutilised under the following heads to the extent as shown against each:-

(का) ''दूतावास और मिशन - प्रबंधन और स्थापना'' - 104500.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 14770.41 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 119270.41 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, मुख्यालयों/मिशनों को स्थानांतरित किए गए अधिकारियों को छठे केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू किए जाने के परिणामस्वरूप बकाया की अदायगी न किए जाने के कारण 2151.54 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(A) "Embassies and Missions - Management and Establishment" – the original provision of Rs.104500.00 lakhs was augmented to Rs.119270.41 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.14770.41 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.2151.54 lakhs – due to non-payment of arrears on account of implementation of 6th Central Pay Commission Report to officers transferred to headquarters/ missions.

(खा) ''अन्य व्यय - संस्थाओं को अदायगी'' - 9213.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 240.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 9453.00 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, प्राप्तकर्ता संगठनों से कम मांग प्राप्त होने के कारण 75.43 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(B) "Other Expenditure – Grants to Institutions" – the original provision of Rs.9213.00 lakhs was augmented to Rs.9453.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.240.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.75.43 lakhs – due to receipt of less demand from the recipient organisations.

(IV) मुख्य शीर्ष ''2061'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(IV) Under Major Head "2061" – savings occurred under the following heads:-

(का) ''प्रशिक्षण - विदेश सेवा प्रशिक्षण संस्थान'' - 242.66 लाख रु. की बचत (900.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रशासनिक कारणों की वजह से मध्यम स्तर के अधिकारियों के लिए निर्धारित प्राठ्यक्रम आयोजित न किए जाने के कारण हुई।

(खा) ''पासपोर्ट और उत्प्रवास - केंद्रीय अधिनियमों और विनियमों के प्रशासन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अदायगी'' - 645.09 लाख रु. की बचत (2500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आवेदनों के कम संख्या में प्राप्त होने और उसके परिणामस्वरूप पासपोर्ट सत्यापन सेवा के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को कम अदायगी किए जाने के कारण हुई।

(गा) ''मंनोरंजन प्रभार - पदाधिकारियों का मनोरंजन'' - 326.85 लाख रु. बचत (3235.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अति विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा कम दौरे किए जाने के कारण हुई।

(घा) ''अंतर्राष्ट्रीय सहयोग'' -

(क) ''राष्ट्रमंडल'' - 675.95 लाख रु. की बचत (839.75 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अंशदानों के कुछ भाग के मूर्तरूप न लेने के कारण हुई।

(ख) ''अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन'' - 1693.17 लाख रु. की बचत (1972.85 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संबंधित संगठनों से मांगें प्राप्त न होने और संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय विधि संगोष्ठी के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(ङ) ''अन्य व्यय - सीमाओं का अंकन'' - 184.70 लाख रु. की बचत (455.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सीमा स्तंभों के लिए अभिकरणों द्वारा संयुक्त सर्वेक्षण का कार्य पूरा होने में विलंब होने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष ''3605'' - ''अन्य देशों के साथ सहयोग'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(A) "Training – Foreign Service Training Institute" – saving of Rs.242.66 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.900.00 lakhs) was due to non-conduction of courses meant for mid level officers owing to administrative reasons.

(B) "Passport and Emigration – Payment to States/Union Territories for administration of Central Acts and Regulations" - saving of Rs.645.09 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2500.00 lakhs) was due to receipt of less number of applications and consequently less payment to State/Union Territories for passport verification service.

(C) "Entertainment Charges – Entertainment of Dignitaries" - saving of Rs.326.85 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3235.00 lakhs) was due to less visits of VVIPs.

(D) "International Co-operation" -

(a) "Commonwealth" - saving of Rs.675.95 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.839.75 lakhs) was due to non-materialisation of some portion of contributions.

(b) "Other International Organisation" - saving of Rs.1693.17 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1972.85 lakhs) was due to non-receipt of demands from concerned organisations and requirement of less funds for UN International Law Seminar.

(E) "Other Expenditure – Demarcation of Boundaries" - saving of Rs.184.70 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.455.00 lakhs) was due to delay in completion of joint survey work by agencies for boundary pillars.

(V) Under Major Head "3605" – "Cooperation with Other Countries" – savings occurred under the following heads:-

(का) ''बांग्लादेश को सहायता'' - 1525.00 लाख रु. की बचत (1600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यकलापों के मूर्तरूप न लेने और आयोजित परियोजनाओं के कार्यान्वित न होने के कारण हुई।

(A) "Aid to Bangladesh" – saving of Rs.1525.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1600.00 lakhs) was due to non-materialisation of activities and non-implementation of projects planned.

(खा) ''भूटान को सहायता'' - 4996.43 लाख रु. की बचत (81840.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रशासनिक कारणों की वजह से विभिन्न परियोजनाओं के लिए भूटान की राजकीय सरकार को निधियों का प्रेषण न किए जाने के कारण हुई।

(B) "Aid to Bhutan" - saving of Rs.4996.43 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.81840.00 lakhs) was due to non- remittance of funds to Royal Government of Bhutan for various projects owing to administrative reasons.

(गा) ''नेपाल को सहायता'' - 363.34 लाख रु. की बचत (14000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नेपाल में राजनीतिक स्थिति की वजह से निधियों का कम उपयोग किए जाने के कारण हुई।

(C) "Aid to Nepal" - saving of Rs.363.34 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.14000.00 lakhs) was due to under utilisation of funds owing to political situation in Nepal.

(घा) ''श्रीलंका - अन्य सहायता कार्यक्रम'' - 1221.71 लाख रु. की बचत (3400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रशासनिक कारणों की वजह से कार्यकलापों के मूर्तरूप न लेने और रक्षा मंत्रालय से बिलों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(D) "Sri Lanka – Other Aid Programmes" - saving of Rs.1221.71 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3400.00 lakhs) was due to non-materialisation of activities owing to administrative reasons and non-receipt of bills from Ministry of Defence.

(ङ) ''मालदीव को सहायता'' - 1580.47 लाख रु. की बचत (1777.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(E) "Aid to Maldives" – saving of Rs.1580.47 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1777.00 lakhs);

(चा) ''म्यांमार को सहायता'' - 1088.94 लाख रु. की बचत (5600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(F) "Aid to Myanmar" – saving of Rs.1088.94 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5600.00 lakhs);

(छा) ''एससीएएपी कार्यक्रम'' - 216.01 लाख रु. की बचत (800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(G) "SCAAP Programmes" – saving of Rs.216.01 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.800.00 lakhs);

(जा) ''बहुपक्षीय आर्थिक संबंध कार्यक्रम'' - 2184.90 लाख रु. की बचत (2500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(H) "Multilateral Economic Relation Programme" – saving of Rs.2184.90 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2500.00 lakhs);

(झा) ''निवेश संवर्धन और प्रचार कार्यक्रम'' - 1568.05 लाख रु. की बचत (1640.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(I) "Investment Promotion and Publicity Programme" - saving of Rs.1568.05 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1640.00 lakhs);

(ञ) ''केंद्रीय एशिया को सहायता'' - 1062.55 लाख रु. की बचत (2800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ट) ''लैटिन अमरीकी देशों को सहायता'' - 399.35 लाख रु. की बचत (420.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त सात शीर्षों के अंतर्गत बचतें प्रशासनिक कारणों की वजह से कार्यकलापों के मूर्तरूप न लेने के कारण हुईं।

(ठ) ''सार्क कार्यक्रम'' - 995.00 लाख रु. की बचत (2000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) दक्षिण एशियाई सांस्कृतिक उत्सव के बिल प्राप्त न होने और सार्क सचिवालय, काठमांडू के सम्मेलन हाल के पूरा होने में विलंब होने के कारण हुई।

(ड) ''अफगानिस्तान को सहायता'' - 10509.39 लाख रु. की बचत (44500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चालू परियोजनाओं के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने और पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड से बिलों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(VI) एक शीर्ष के अंतर्गत 59.48 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 18 प्रतिशत थी।

3.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (4512.37 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष ''2061'' - ''अन्य व्यय'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत 76169.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय और अनुदान की पूरक मांगों के अनुबंध द्वारा संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(क) ''अन्य स्कीमें'' - 4012.10 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 3905.91 लाख रु. था।

(ख) ''विशेष कार्यक्रम'' - 500.27 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 194.63 लाख रु. था।

(J) "Aid to Central Asia" - saving of Rs.1062.55 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2800.00 lakhs); and

(K) "Aid to Latin American Countries" - saving of Rs.399.35 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.420.00 lakhs).

Savings under the above seven heads were due to non-materialisation of activities owing to administrative reasons.

(L) "SAARC Programme" – saving of Rs.995.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2000.00 lakhs) was due to non-receipt of bills of South Asian Cultural Festival and delay in completion of Conference Hall of SAARC secretariat, Kathmandu.

(M) "Aid to Afghanistan" - saving of Rs.10509.39 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.44500.00 lakhs) was due to requirement of less funds for ongoing projects and non-receipt of bills from Power Grid Corporation of India Limited.

(VI) Under one head saving of Rs.59.48 lakhs occurred constituting 18 percent of the sanctioned provision.

3.(I) The above savings were partly (Rs.4512.37 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of Rs.76169.00 lakhs and vide Annexure to Supplementary Demands for Grants under Major Head "2061" – "Other Expenditure" – under the following heads:-

(A) "Other Schemes" – Rs.4012.10 lakhs. Actual excess, however, was Rs.3905.91 lakhs.

(B) "Special Programmes" – Rs.500.27 lakhs. Actual excess, however, was Rs.194.63 lakhs.

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2052'' - ''सचिवालय - विदेश मंत्रालय'' - 2406.18 लाख रु. का अधिक व्यय (1642.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 17857.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें लागू किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(A) Major Head "2052" – "Secretariat – Ministry of External Affairs" – excess of Rs.2406.18 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.17857.00 lakhs including supplementary grant of Rs.1642.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for implementation of Sixth Central Pay Commission's Report.

(खा) मुख्य शीर्ष ''2061'' -

(B) Major Head "2061" -

(क) ''अंतर्राष्ट्रीय सहयोग - संयुक्त राष्ट्र संघ'' - 6694.65 लाख रु. का अधिक व्यय (87084.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 97441.40 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अमरीकी डालर में देय सार्क विकास निधि को भारत के अंशदान की शेष अदायगी के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने और भारतीय रुपए का अमरीकी डालर की तुलना में अवमूल्यन होने के कारण हुआ।

(a) "International Cooperation – United Nations Organisations" - excess of Rs.6694.65 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.97441.40 lakhs including supplementary grant of Rs.87084.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for balance payment of India's contribution to SAARC Development Fund payable in US Dollars and depreciation of Indian Rupees against US Dollar.

(ख) ''अन्य व्यय'' -

(b) "Other Expenditure" –

(i) ''विशेष शिष्टमंडल'' - 1092.24 लाख रु. का अधिक व्यय (580.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्षों से संबंधित पुराने बकाया बिलों का निपटान किए जाने के कारण हुआ।

(i) "Special Delegations" – excess of Rs.1092.24 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.580.00 lakhs) was due to settlement of old outstanding bills pertaining to previous years.

(ii) ''हज पर व्यय'' - 789.44 लाख रु. का अधिक व्यय (600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हज सद्भावना शिष्टमंडल के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने और भारत से हज यात्रियों की सुविधा के लिए कर्मचारियों को तैनात किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ii) "Expenditure on Haj" – excess of Rs.789.44 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.600.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for Haj Goodwill Delegation and deputation of staff for facilitating the pilgrims from India.

(गा) मुख्य शीर्ष ''3605'' - ''अन्य देशों के साथ सहयोग'' -

(C) Major Head "3605" - "Co-operation with Other Countries" –

(क) ''अन्य विकासशील देशों को सहायता'' - 5228.68 लाख रु. का अधिक व्यय (4850.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) फिलिस्तीनी राष्ट्रीय प्राधिकरण को बजट सहायता प्रदान किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ख) ''आपदा राहत के लिए सहायता'' - 1828.42 लाख रु. का अधिक व्यय (5867.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भूकंप प्रभावित क्षेत्रों को राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए चीन को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ग) ''आईटीईसी कार्यक्रम'' - 586.51 लाख रु. का अधिक व्यय (6500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारतीय विशेषज्ञों को विदेश में तैनात किए जाने और आईटीईसी प्रशिक्षार्थियों के आवास प्रभारों में उर्ध्वमुखी संशोधन होने के परिणामस्वरूप अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(घ) ''अफ्रीकी देशों को सहायता'' - 2471.43 लाख रु. का अधिक व्यय (8000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभिन्न उप परियोजनाओं के पूरा होने के पश्चात पैन अफ्रीकी ई-नेटवर्क परियोजना के अंतर्गत टेलीकम्यूनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड के बिलों का निपटान किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में, अभ्यर्पित राशि (5525.00 लाख रु.) 4542.49 लाख रु. की कुल बचतों से अधिक हो गईं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

(a) "Aid to Other Developing Countries" – excess of Rs.5228.68 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4850.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for extending budgetary support to Palestinian National Authority.

(b) "Aid for Disaster Relief" – excess of Rs.1828.42 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5867.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for humanitarian assistance extended to China for providing relief material for earthquake affected areas.

(c) "ITEC Programme" - excess of Rs.586.51 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6500.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for deputation of Indian experts abroad and upward revision of accommodation charges for ITEC trainees.

(d) "Aid to African Countries" – excess of Rs.2471.43 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.8000.00 lakhs) was due to requirement of additional funds to clear bills of Telecommunication Consultants India Limited against Pan African E-network Project after completion of different sub projects.

4. In the capital section of the grant, the amount surrendered (Rs.5525.00 lakhs) exceeded the overall savings of Rs.4542.49 lakhs.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4059" लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works			20000.00	21119.96	+1119.96
मुख्य शीर्ष "4070" अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4070" Capital Outlay on Other Administrative Services					
मू.	O.		41133.00			
पू.	S.		1492.00	35300.00	32119.18	–3180.82
पु.	R.		–7325.00			
मुख्य शीर्ष "4216" आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4216" Capital Outlay on Housing			10000.00	13152.21	+3152.21
मुख्य शीर्ष "7605" विदेशी सरकारों को अग्रिम	Major Head "7605" Advances to Foreign Governments					
मू.	O.		13460.00			
पू.	S.		78000.00	93260.00	93151.16	–108.84
पु.	R.		1800.00			

(I) मुख्य शीर्ष "4070" - "अन्य व्यय - विवेकाधीन व्यय" के अंतर्गत 41133.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को फरवरी, 2009 में 1492.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 42625.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 10505.82 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) यथा परिकल्पित कार्यकलापों को लागू न किए जाने और विभिन्न राजनीतिक कारणों के कारण हुई।

(I) Under Major Head "4070" - "Other Expenditure - Discretionary Expenditure" - the original provision of Rs.41133.00 lakhs was augmented to Rs.42625.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.1492.00 lakhs in February, 2009. However, there was a saving of Rs.10505.82 lakhs (including supplementary grant) - due to non-implementation of activities as envisaged and various political reasons.

(II) मुख्य शीर्ष "7605" - "भूटान की सरकार को कर्ज" के अंतर्गत 2080.64 लाख रु. की बचत (फरवरी, 2009 में प्राप्त किए गए 30000.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित

(II) Under Major Head "7605" - "Loans to Government of Bhutan" – saving of Rs.2080.64 lakhs (against the total sanctioned provision of

43460.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सरकार से पर्याप्त मांग प्राप्त न होने के कारण हुई।

5. उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(I) मुख्य शीर्ष ''4059'' - ''अन्य भवन - निर्माण - विदेशी मामले'' - 1119.96 लाख रु. का अधिक व्यय (20000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेलिंगटन में चांसरी की खरीद किए जाने और टोक्यो परियोजना और जवाहर लाल नेहरू भवन संबंधी संविदात्मक अदायगियों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(II) मुख्य शीर्ष ''4216'' - ''सरकारी रिहायशी भवन - अन्य आवास - विदेशी मामले'' - 3152.21 लाख रु. का अधिक व्यय (10000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) टोक्यो परियोजना के लिए संविदात्मक अदायगियों का निपटान किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(III) मुख्य शीर्ष ''7605'' - ''मालदीव की सरकार को कर्ज - नए ऋण'' - 3771.80 लाख रु. का अधिक व्यय (48000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मालदीव सरकार को आपाती ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने और अमरीकी डालर की तुलना में रुपए का अवमूल्यन होने के कारण हुआ।

Rs.43460.00 lakhs including supplementary grant of Rs.30000.00 lakhs obtained in February, 2009) was due to non-receipt of adequate demand from the Government.

5. The above savings were partly offset by excess under the following major heads:-

(I) Major Head "4059" – "Other Buildings – Construction – External Affairs" – excess of Rs.1119.96 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.20000.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for purchase of Chancery in Wellington and contractual payments for Tokyo project and Jawahar Lal Nehru Bhawan.

(II) Major Head "4216" – "Government Residential Buildings – Other Housing - External Affairs" – excess of Rs.3152.21 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.10000.00 lakhs) was due to requirement of additional funds to clear contractual payments for Tokyo project.

(III) Major Head "7605" - "Loans to Government of Maldives - New Credits" – excess of Rs.3771.80 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.48000.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for extending a standby credit facility to Government of Maldives and depreciation of rupee value against US Dollars.